पेज संख्या 1/5

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 92/2015

अपीलांट

1. पन्नाराम पुत्र लाला जाति भाट उम्र 60 वर्ष, निवासी मस्तान बाबा कॉलोनी, पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. बंशीलाल पुत्र लाला जाति भाट उम्र बालिग निवासी रूणेचा कॉलोनी, हैदर कॉलीनी के पास पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभि. रेस्पो. संख्या 01की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24-08-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 104/2013 बउनवान मृतक लाला के कायम मुकाम बंशीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा सापा तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 385/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा नये खसरा संख्या 525 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं पुराने खसरा संख्या 385/2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा एवं नये खसरा संख्या 529 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, राजस्व रेकर्ड की दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदारी घोषणा के आदेश प्रदान किये। हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी के खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

लाला पुत्र फौजा थे जिनका देहान्त 10.10.1977 को हो चुका है। भु प्रबंध सेटलमेंट के वक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियो ने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त लाला पुत्र फौजा की बजाय फौजा पुत्र लाला सवंहन से गलत अंकित कर दिया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने आपको लाला पुत्र फौजा का एक मात्र वारीश होना बताया ओर यह अनुतोष चाहा कि राजस्व रेकॉर्ड में उसके पिता का दर्ज गलत नाम फौजा पुत्र लाला को दुरस्त कर लाला पुत्र फौजा किया जावे ओर लाला पुत्र फौजा के स्थान पर वादी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे आरे उस अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। उक्त वाद 19.06.2013 को दर्ज हुआ। दिनांक 21.05.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुये, 19.03.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने जबाव दावा पेश किया ओर मुख्य रूप से यह कथन किया कि खसरा संख्या 525 के पुराने खसरा संख्या 385/2 ओर खसरा संख्या 529 के पुराने खसरा संख्या 385/1 थे ओर राजस्व रेकॉर्ड में फौजा पुत्र लाला नाम दर्ज है। प्रकरण दिनांक 27.05.2015 को लोक अदालत केम्प सापा में प्रस्तुत हुआ ओर अपीलाधिन डिक्री पारित की गई ओर अपीलाधिन डिक्री के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद डिक्री किया ओर राजस्व रेकॉर्ड मे फौजा वल्द लाला के स्थान पर लाला वल्द फौजा को दुरस्त करने के आदेश दिये गये और रेस्पेडेन्ट संख्या 01 को लाला पुत्र फौजा का एक मात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना मानते हुये उसे खसरा संख्या 525 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा खसरा संख्या 529 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है क्योकि रेस्पों. संख्या 01 को अकेले को उक्त वाद पेश करने का अधिकार ही नही था लाला वल्द फौजा के रेस्पो. संख्या 01 के अलावा भी विधिक वारीशान जीवित थे। वो भी उक्त वाद पेश करने के विधिक उत्तराधिकारी थे। किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा जो वाद पेश किया वह वाद लाला के सभी जीवित विधिक वारिशान को मिलकर पेश करना चाहिए था अथवा रेस्पो0 संख्या 1 को लाला के जीवित वारिशान को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाना चाहिये था जो नही बनाकर अकेले ने जो वाद पेश किया वह पोषणीय नहीं था ओर खारिज किये जाने योग्य था।

साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था ओर रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से जबाव मे यह अभिवचन किये गये थे कि वाद में दर्ज तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे उन परिस्थितियों में योग्य अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 संख्या 1 को लाला वल्द फौजा का एक मात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी मानने ओर उसे सम्पूर्ण भुमि का एक मात्र खातेदार घोषित करने से पहले साक्ष्य अवश्यक ली जानी चाहिये थी और मौखिक ओर दस्तावेजी साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही वाद मे कोई निर्णय एवं डिक्री पारित करने चाहिए थी जो योग्य अधिन न्यायालय ने नही किया और अपीलाधिन डिक्री पारित की जो तथ्यो एवं विधि के विधान के विरूद्ध है। लाला के जो विधिक वारिशान थे उनको रेकर्ड पर लेना आवश्यक नही समझा ओर नही सभी विधिक वारिशान को बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार घोषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय लोक अदालत कम्प सापा में बिना कोई तनकियात कायम किये, बिना कोई साक्ष्य लिए निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों से परे है। लोक अदालत कैम्प,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सापा में पत्रावली का निस्तारण किया ओर सम्पूर्ण आदेश आदेशिका मे ही दर्ज कर दिया ओर उस आदेशिका मे जो आदेश दर्ज किया है उसे पढने से भी स्पष्ट है कि सरकारी पैरोकार ने केवल मात्र यह कहा था कि राजस्व रेकर्ड मे फौजा वल्द लाला के स्थान पर लाला वल्द फौजा किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है ओर सम्पूर्ण आदेशिका भी योग्य अधीन न्यायालय ने इसी तथ्य को लेते हुए दर्ज की कि राजस्व रेकर्ड मे जो फौजा वल्द लाला गलत अंकित किया गया है उसे दुरस्त कर लाला वल्द फौजा किया जाना उचित प्रतित होता है। सम्पूर्ण आदेशिका में इस बाबत कहीं कोई विवेचन नही था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाला वल्द फौजा का एक मात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी किस आधार पर माना जाता है उसके बावजूद उसे आदेशिका में बिना किसी कारण ओर आधार के फौजा वल्द लाला के स्थान पर लाला वल्द फौजा दुरस्त किये जाने के साथ ही साथ रेस्पो0 संख्या 1 को लाला वल्द फौजा का एक मात्र उत्तराधिकारी मानकर उसे खसरा संख्या 525 व खसरा संख्या 529 की भुमि का खातेदार घोषित कर दिया जो पूर्णतया तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध हैं रेस्पो0 संख्या 1 लाला वल्द फौजा का एक मात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नही था अपितु अपील मीमो मे पद संख्याा 04(2) मे वर्णित उत्तराधिकारी एवं रेस्पो0 संख्या 1 के अलावा अपीलार्थी भी लाला वल्द फौजा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित है। जिस बाबत योग्य अधीन न्यायालय ने कोई जॉच नहीं की। अपीलार्थी ओर लाला के उपरोक्त अन्य प्रथम श्रेणी के वारिशान को पक्षकार नही बनाया, उन्हे जबाब सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी लाला वल्द फौजा के उपरोक्त अन्य वारिश ओर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में जीवित होने के तथ्यों को छुपाया। जबकि खसरा संख्या 525 व 529 पर लाला के देहान्त के बाद से लगातार अपीलार्थी ओर लाला के अन्य सभी वारिशान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अकेले रेस्पो0 संख्या 1 को कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। न्यायालय के समक्ष असत्य कथन किये, न्यायालय के समक्ष गलत तथा झूठे तथ्यों से अपीलाधिन निर्णय व डिक्री पारित करवा दी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना विधिक प्रावधानो की पालना किये, तनकीयात कायम किये, न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उडाते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा सापा तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 385/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा नये खसरा संख्या 525 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं पुराने खसरा संख्या 385/2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा एवं नये खसरा संख्या 529 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, राजस्व रेकर्ड की दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिताजी लाला वल्द फौजा की पुश्तैनी आराजी थी। भु–प्रबंध सेटलमेंट के वक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियो ने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त लाला पुत्र फौजा की बजाय फौजा पुत्र लाला सवंहन से गलत अंकित कर दिया। जिसे राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वकील अपीलांट द्वारा पेश हकतर्कनामें को अपील का भाग मानते हुए उक्त हकतर्कनामे को रेकर्ड पर लेकर अपील का भाग माना जावे एवं अपील के साथ पढा जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय में उक्त हकतर्कनामे के तथ्यों को ध्यान मे रखा जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पों0 संख्या 1 भी लाला पुत्र फौजा का विधिक वारिशान होने के कारण अपील मे शामिल हकतर्कनामे को ध्यान मे रखते हुए खातेदार घोषित करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा सापा तहसील व जिला पाली के खसरा नंबर 385/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा नये खसरा संख्या 525 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं पुराने खसरा संख्या 385/2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा एवं नये खसरा संख्या 529 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, राजस्व रेकर्ड की दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया। हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी के खातेदार लाला पुत्र फौजा थे जिनका देहान्त 10.10.1977 को हो चुका है। भु प्रबंध सेटलमेंट के वक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियो ने राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त लाला पुत्र फौजा की बजाय फौजा पुत्र लाला सवंहन से गलत अंकित कर दिया था। उक्त त्रुटी को राजस्व रेकर्ड में दुरस्तीकरण हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लाला वल्द फौजा का जो नाम दुरस्त किया गया है उस हद तक किसी भी प्रकार हस्तक्षेप करना हाजा न्यायालय उचित नही समझता है। किन्तु वादग्रस्त आराजी के बंशीलाल भी जायज वारिस है तथा उसका विधिक हक एवं हिस्सा निहीत है। इस बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने तय कर दिया है। किन्तु हाजा न्यायालय वादो की बाहुल्यता नही बढे तथा अनावश्यक पक्षकारों में विवाद नहीं बढे को ध्यान मे रखते हुए बंशीलाल को स्वयं के विधिक हिस्से एवं जिन वारिसानों द्वारा उसके पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा अपना हिस्सा त्याग दिया है उस हद तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य विधिक वारिशान के सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय विधि पूर्वक सुनवाई करके न्यायसंगत निर्णय पारित करे।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 104/2013 बउनवान मृतक लाला के कायम मुकाम बंशीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को बंशीलाल के विधिक हिस्से एवं बंशीलाल के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हकत्याग करने वाले वारिसो के विधिक हिस्से को छोड़कर के अधीनस्थ न्यायालय के डिक्री एवं आदेश को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस सुनकर के न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्पेशल अपील के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हस्तगत अपील को अभिन्न अंग रहेगा। रेस्पो संख्या 1 भी लाला पुत्र फौजा का विधिक वारिशान है। हस्तगत प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सहखातेदारों की विधिक सहमती से सहखातेदारों के समस्त विधिक रजिस्टर्ड दस्तावेजों यथा विक्रयपत्रो, रिलीज डीड एवं अन्य दस्तावेज जिससे कि बंशीलाल रेस्पो को कानूनन अंतरण किया जाता है। या उनको भूमि के अधिकार दिये जाते है विधि अनुसार। इकबालिया ब्यानों की सहमती पक्षकारों मे स्थापित करते हुए उनकी सहमती अनिवार्य रूप से न्यायहित में बनाए ताकि किसी प्रकार की अन्य मुकदमेबाजी (लिटीगेशन) नही हो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट व अन्य विधिक सहखातेदारों को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारों में नवीन प्रकार की मुकदमे बाजी नही बढे तथा विवाद यही पर समाप्त हो जाये तब तक के लिए अन्य सभी जायज वारिसान एवं पक्षकार भूमि को खुर्द बुर्द नही करे तथा बंशीलाल के विधिक हिस्से के अतिरिक्त बंशीलाल के पक्ष में हक त्याग करने वाले वारिसान के विधिक हिस्से को छोड़कर हस्तगत प्रकरण में अन्य किसी पक्षकार एवं वारिसान को बेचान अन्तरण नही करने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार पाली उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24-08-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजमोहन जोशियारा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 92/2015

अपीलांट

1. पन्नाराम पुत्र लाला जाति भाट उम्र 60 वर्ष, निवासी मस्तान बाबा कॉलोनी, पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. बंशीलाल पुत्र लाला जाति भाट उम्र बालिग निवासी रूणेचा कॉलोनी, हैदर कॉलोनी के पास, पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पाली तह0 व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली के राजस्व वाद संख्या 104/2013 बअनवान मृतक लाला के कायम मुकाम बंशीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2015 को बंशीलाल के विधिक हिस्से एवं बंशीलाल के पक्ष में हकत्याग करने वाले वारिसों के विधिक हिस्से को छोड़कर आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है। एवं बंशीलाल के विधिक हिस्से एवं बंशीलाल के पक्ष में हकत्याग करने वाले विधिक वारिसान के विधिक हिस्से का बंशीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पाली राजस्व रेकर्ड में बंशीलाल एवं उसके पक्ष में हकत्याग करने वाले विधिक वारिशान के हिस्से का बंशीलाल के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 31/8/2021 को जारी किया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली